1.

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

एफ 41 (1) ग्रावि / नरेगा / रा.गा.से.के / अलवर / 09–10 जयपुर, दिनांक 12.05.10

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर
अलवर ।

14 MAY 2010

विषय :– भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र के स्थान परिवर्तन बाबत।

प्रसंग :– आपका पत्र कमांक महानरेगा / 194 दिनांक 7.05.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक द्वारा भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पाटन मेवान के स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध मे मार्ग दर्शन चाहा गया है।

इस सम्बन्ध मे कृपया विभागीय पत्र क्रमांक एफ एफ 41 (1) ग्रावि / नरेगा / रा. गा.से.के / प्रगति / करौली / 09–10 दिनांक 22.03.10 का अवलोकन करे (प्रति संलग्न है) जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत / पंचायत समिति कार्यालय मे स्थान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति मे अन्यत्र स्थान पर भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केंन्द्र का निर्माण कराने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत / पंचायत समिति के स्तर पर इस आशय का प्रस्ताव लिया जाकर तद्नुसार केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान नियत किया जावे। स्थान परिवर्तन करने अथवा मानचित्र के परिवर्तन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर से होना आवश्यक है।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण मे उपरोक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का श्रम करावें।

भवदीय

सलंग्न–उपरोक्तानुसार

(रामनिवास मेहता)
परि. निदे एवं उपसचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :–

1. अति. जिला कार्यकम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को भेजकर अनुरोध है कि ग्राम पंचायत / पंचायत समिति स्तर के भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र निर्माण के कम मे स्थान परिवर्तन / मानचित्र परिवर्तन के कम मे उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का श्रम करावे।

2. XEN, EGS, ZP (AI)

12/5/10

परि. निदे एवं उपसचिव, ईजीएस

XEN(U)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग--3)

एफ 41 (1) नरेगा/रा.गा.से.के/प्रगति/करौली/ 09--10 जयपुर, दिनांक 22 MAR 2010

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर
समस्त।

विषय :– भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र के स्थान में परिवर्तन बाबत।

महोदय,

नरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 15 से 18 मार्च 2010 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस मे कई जिलो द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तरीय सेवा केन्द्रो के निर्माण के क्रम मे कई ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति कार्यालय परिसर मे स्थान उपलब्ध नहीं है।

भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्रो के निर्माण हेतु जारी विभागीय आदेश दिनांक 19.12.09 मे यह अंकन किया गया है कि पंचायत समिति/ग्राम पंचायत परिसर मे पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति मे अन्यत्र स्थान पर सेवा केन्द्र का निर्माण करवा लिया जावे। स्थान परिवर्तन करने अथवा मानचित्र मे परिवर्तन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर से होना आवश्यक है।

विभागीय पत्र दिनांक 19.12.09 के निरन्तर में यह स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति कार्यालय में स्थान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति मे अन्यत्र स्थान पर भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र का निर्माण कराने से पूर्व ग्राम पंचायत/पंचायत समिति स्तर पर इस आशय का प्रस्ताव ले लिया जावे।

भवदीय

(रामनिवास मेहता)
परि. निदे एवं उपसचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :–

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
2. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।
3. मुख्य पत्रावली, BNRGSK,

23/3/10
परि. निदे एवं उपसचिव, ईजीएस